

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 970 सन 2020

अनवान :-

1. सुरजमल पुत्र धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. प्रमोद कुमार पुत्र धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मंगलीदेवी पत्नी प्रभूदयाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. प्रेम कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. राकेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. कविता पुत्री प्रभूदयाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. गुन्नीदेवी पुत्री धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. सीमा धोलखेडिया पुत्री धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. चन्द्रा धवल पुत्री धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. बनारसी पुत्री धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. सरोज पुत्री धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. लाडोदेवी पत्नी धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. महावीर प्रसाद पुत्र बलाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. मनोज कुमार पुत्र बलाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
15. शिव कुमार पुत्र बलाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
16. राधेश्याम पुत्र बलाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
17. पन्नालाल पुत्र बलाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 31/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 24/25 के खसरा न० 10 की 2.1760हैक व रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 67/60 के खसरा न० 63 की कुल 2.4790हैक रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 43/43 के खसरा न० 226 की 3.9200हैक रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 148/150 के खसरा न० 206 की कुल 9.5720हैक में से 39513/95720हिस्सा रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 44/44 के खसरा न० 120 की 5.7790हैक में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 39/40 के खसरा न० 187 ,188 की कुल 16.7860हैक में से 115/1526 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 191/186 के खसरा न० 228/2 की 3.0860हैक व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 95/95 के खसरा न० 125 में से 1979/8587 हिस्सा भूमि मृतक धीसाराम, तीजादेवी ,लाडो पत्नी धीसाराम , प्रभूदयाल, एवं पन्नालाल के नाम से से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धीसाराम पुत्र भेभाराम तीजादेवी पत्नी वल्लराम, प्रभूदयाल पुत्र धीसाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है जो धीसाराम पुत्र भेभाराम तीजादेवी पत्नी वल्लराम, प्रभूदयाल पुत्र धीसाराम की कृषि भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 वादी की बुआ/बहने/मृतक धीसाराम, तीजादेवी, प्रभूदयाल के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,13 ता 17 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,13 ता 17 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक धीसाराम, तीजादेवी, प्रभूदयाल के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,13 ता 17 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पूर्वज मृतक धीसाराम, तीजादेवी, प्रभूदयाल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/भतिजो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,13 ता 17 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,13 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,13 ता 17 के नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 18 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ब्रह्मणवासी के खाता संख्या 24/25 के खसरा न0 10 की 2.1760हैक् व रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 67/60 के खसरा न0 63 की कुल 2.4790हैक् रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 43/43 के खसरा न0 226 की 3.9200हैक् रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 148/150 के खसरा न0 206 की कुल 9.5720हैक् में से 39513/95720हिस्सा रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 44/44 के खसरा न0 120 की 5.7790हैक् में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 39/40 के खसरा न0 187 ,188 की कुल 16.7860हैक् में से 115/1526 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 191/186 के खसरा न0 228/2 की 3.0860हैक् व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 95/95 के खसरा न0 125 में से 1979/8587 हिस्सा भूमि मृतक धीसाराम, तीजादेवी ,लाडो पत्नी धीसाराम , प्रभूदयाल, एवं पन्नालाल के नाम से से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धीसाराम पुत्र भेभाराम तीजादेवी पत्नी बल्लराम, प्रभूदयाल पुत्र धीसाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है जो धीसाराम पुत्र भेभाराम तीजादेवी पत्नी बल्लराम, प्रभूदयाल पुत्र धीसाराम की कृषि भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ब्रह्मणवासी के खाता संख्या 24/25 के खसरा न0 10 की 2.1760हैक व रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 67/60 के खसरा न0 63 की कुल 2.4790हैक रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 43/43 के खसरा न0 226 की 3.9200हैक रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 148/150 के खसरा न0 206 की कुल 9.5720हैक में से 39513/95720हिस्सा रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 44/44 के खसरा न0 120 की 5.7790हैक में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 39/40 के खसरा न0 187, 188 की कुल 16.7860हैक में से 115/1526 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 191/186 के खसरा न0 228/2 की 3.0860हैक व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 95/95 के खसरा न0 125 में से 1979/8587 हिस्सा भूमि मृतक धीसाराम, तीजादेवी, लाडो पत्नी धीसाराम, प्रभूदयाल, एवं पन्नालाल के नाम से सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान में धीसाराम पुत्र भेभाराम तीजादेवी पत्नी बल्लराम, प्रभूदयाल पुत्र धीसाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है मृतक धीसाराम पुत्र भेभाराम तीजादेवी पत्नी बल्लराम, प्रभूदयाल पुत्र धीसाराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है मृतक धीसाराम पुत्र भेभाराम तीजादेवी पत्नी बल्लराम, प्रभूदयाल पुत्र धीसाराम की भूमि पाने के हकदार है जो प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है अर्थात मृतक धीसाराम पुत्र भेभाराम तीजादेवी पत्नी बल्लराम, प्रभूदयाल पुत्र धीसाराम के नाम दर्ज भूमि विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 13 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजरव रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ब्रह्मणवासी के खाता संख्या 24/25 के खसरा न0 40 की 2.1760हैक व रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 67/60 के खसरा न0 63 की कुल 2.4790हैक भूमि मृतक धीसाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 43/43 के खसरा न0 226 की 3.9200हैक भूमि मृतक धीसाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4, 5 को खातेदार

पञ्चदश अधिकारी
नोहर

काश्तकार धोषित किया जाता है रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 148/150 के खसरा न0 206 की कुल 9.5720हैक् में से 39513/95720हिस्सा भूमि लाडोदेवी के नाम से दर्ज है 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ,5 बहिब एवं 3/4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 44/44 के खसरा न0 120 की 5.7790हैक् में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 39/40 के खसरा न0 187 ,188 की कुल 16.7860हैक् में से 115/1526 हिस्सा भूमि में मृतक धीसाराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 69/69 के खसरा न0 228/1 की कुल 3.0730हैक् भूमि मृतक तीजादेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 191/186 के खसरा न0 228/2 की 3.0860हैक् भूमि में मृतक लाडो देवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 95/95 के खसरा न0 125 में से 1979/8587 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 17 पन्नालाल एवं मृतक प्रभूराम का नाम कलमजन किया जाकर के वादी एवं प्रतिवादी संख्या . 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर



सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिनांकी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुरजमल पुत्र धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. प्रमोद कुमार पुत्र धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मंगलीदेवी पत्नी प्रभूदयाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. प्रेम कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. राकेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. कविता पुत्री प्रभूदयाल जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. मुन्नीदेवी पुत्री धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. सीमा धोलखेडिया पुत्री धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. चन्द्रा धवल पुत्री धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. बनारसी पुत्री धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. सरोज पुत्री धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. लाडोदेवी पत्नी धीसाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. महावीर प्रसाद पुत्र बलाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. मनोज कुमार पुत्र बलाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
15. शिव कुमार पुत्र बलाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
16. राधेश्याम पुत्र बलाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
17. पन्नालाल पुत्र बलाराम जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 970 सन 2020 निर्णय दिनांक- 31/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ब्रह्मणवासी के खाता संख्या 24/25 के खसरा न0 40 की 2.1760हैक व रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 67/60 के खसरा न0 63 की कुल 2.4790हैक भूमि मृतक धीसाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 43/43 के खसरा न0 226 की 3.9200हैक भूमि मृतक धीसाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4,5 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 148/150 के खसरा न0 206 की कुल 9.5720हैक में से 39513/95720हिस्सा भूमि लाडोदेवी के नाम से दर्ज है 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4,5 बहिव एवं 3/4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 44/44 के खसरा न0 120 की 5.7790हैक में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 39/40 के खसरा न0 187,188 की कुल 16.7860हैक में से 115/1526 हिस्सा भूमि में मृतक धीसाराम का नाम कलमजन किया जाकर


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 बहिव के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 69/69 के खसरा न0 228/1 की कुल 3.0730हैक् भूमि मृतक तीजादेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 191/186 के खसरा न0 228/2 की 3.0860हैक् भूमि में मृतक लाडो देवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिव के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 95/95 के खसरा न0 125 में से 1979/8587 हिरसा में प्रतिवादी संख्या 17 पन्नालाल एवं मृतक प्रभूराम का नाम कलमजन किया जाकर के वादी एवं प्रतिवादी संख्या, 2 ,3 बहिव के खातेदार काशतकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजासर)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते